



छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन” सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर
फोन नंबर 0771- 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in

Website: www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक/MFP02/MSP/2020/1

दिनांक 03.10.2020

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020 संग्रहण काल में भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत संग्रहित होने वाले हर्रा, हर्रा कचरिया, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, चरोटा बीज, कालमेघ, नागरमोथा, बायबडिंग एवं मालकांगनी बीज के

अग्रिम विक्रय हेतु आनलाइन निविदा सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजना अंतर्गत एवं संघ के अभिकर्ता के रूप में आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए अन्य लघु वनोपज क्रय वनोपज के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु अधिकृत किया है।

- उक्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2020 में संघ द्वारा प्रदेश की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिससे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के द्वारा हर्रा, हर्रा कचरिया, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, चरोटा बीज, कालमेघ, नागरमोथा, बायबडिंग एवं मालकांगनी बीज जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात् जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, क्रय कर भंडारित कराया गया है।

- शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों से गोदाम / हाट बाजार पर स्व-सहायता समूहों द्वारा प्राथमिक समिति के पर्यवेक्षण में, भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजना अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्गत एवं संघ द्वारा क्रय मूल्य का भुगतान कर, प्रति क्विंटल क्रय मूल्य का भुगतान कर वनोपज संग्रहित कर क्रेता को प्राथमिक प्रसंस्करण उपरांत गोदाम पर (अनुसूची-12 अनुसार) बोरों में भरकर परिदान दिया जायेगा।

अतएव अब संघ वनोपज के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों / पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से ई-निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है। ई-निविदा सूचना (परिशिष्ट- I से XI तक तथा अनुसूची सहित) संघ की वेबसाइट www.cgmfpfed.org तथा आनलाइन निविदा के पोर्टल <https://cgmfpfed.abcprocure.com> से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं:-

परिशिष्ट-I
(निबंधन एवं शर्तें)

निविदा चक्र	जिस तिथि से ई-निविदा सूचना डाउनलोड की जा सकती है	ई-निविदा प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय	ई-निविदा समाप्त होने की तिथि एवं समय	ऑनलाईन ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय
प्रथम	06.10.2020	14.10.2020 प्रातः 11.00 बजे से	16.10.2020 अपराह्न 16.00 बजे तक	16.10.2020 अपराह्न 16.10 बजे से
द्वितीय	31.10.2020	04.11.2020 प्रातः 11.00 बजे से	06.11.2020 अपराह्न 16.00 बजे तक	06.11.2020 अपराह्न 16.10 बजे से

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश -

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो **परिशिष्ट-I** में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी। ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

3. लाट सूची एवं करार अवधि -

परिशिष्ट-XII - XIV
(वनोपज की लाट सूची)

विभिन्न समितियों से संग्रहित/ क्रय की जाने वाली मात्रा के एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित वनोपज की लाटों के क्रय के लिये दिनांक 28.02.2021 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

4. निविदा पत्र आदि -

परिशिष्ट-II फार्म 1,2 एवं 3

(निविदा पत्र)

परिशिष्ट-III

(निविदाकार करारनामा)

(I) निविदा पत्र (**परिशिष्ट-II** फार्म 1, 2 एवं 3) तथा निविदाकार का करारनामा (**परिशिष्ट-III**) मय परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा ऑन लाइन पोर्टल <https://cgmpfed.abcprocure.com> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -

(I) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार निविदाकार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(II) भारतीय वरिष्ठ पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत एवं प्रोपराइटर शीप की स्थिति में स्वयं या प्रोपराइटर का आधार कार्ड, भागीदारी फर्म की स्थिति में दो भागीदारों का आधार कार्ड, कंपनी की स्थिति में 2 संचालकों का आधार कार्ड एवं अविभाजित हिन्दु परिवार (एच.यू.एफ) की स्थिति में कर्ता और एक व्यस्क परिवार सदस्य का संलग्न करना अनिवार्य है।

परिशिष्ट-X

(निविदाकारों को

आनलाइन) निविदा भरने

हेतु अनुदेश

(Time Schedule)

परिशिष्ट-XI

(III) निविदाकारों को आनलाइन निविदायें भरने हेतु विस्तृत अनुदेश (**परिशिष्ट-XI**) तथा विस्तृत Manual ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल <https://cgmpfed.abcprocure.com> में उपलब्ध होगा तथा आनलाइन निविदायें Time Schedule (**परिशिष्ट-XI**) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार प्रस्तुत की जावेंगी।

(IV) निविदाकार को (GSTIN) सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6. निविदाओं का खोला जाना -

प्राप्त निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट-XI) में अंकित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेंगी।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

परिशिष्ट-VIII

(निविदाकारवार आबंटित लाटों की सूची)

परिशिष्ट-IX

(सफल निविदाकारों की सूची)

परिशिष्ट-X

(असफल निविदाकारों की सूची)

परिशिष्ट-IV

(क्रेता का करारनामा)

(I) निविदा में लिये गये निर्णय अनुसार सफल निविदाकारों को आबंटित लाटों की सूची संघ की वेबसाइट पर **परिशिष्ट-VII** में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की वेबसाइट **www.cgmfpfed.org** पर क्रमशः **परिशिष्ट-VIII** एवं **परिशिष्ट-IX** में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार का प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित वनोपज की लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा।

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 10 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाटके लिए **परिशिष्ट-IV** (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा। निविदाकार के द्वारा 5000/- रुपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकार 10 वां दिन / 7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 10 दिन / 7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाटके क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि लाट / लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्पूर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्पूर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

8. देय राशि का भुगतान -

शासन द्वारा स्वीकृत निविदा दर से क्रेता क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन में क्रेता करारनामा की शर्तों के अनुसार करेगा।

9. वनोपज का परिवहन / निकासी -

देय राशि के भुगतान उपरांत वनोपज का परिवहन / निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट-I से V तथा अनुसूची जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है तथा परिशिष्ट-VI से XI (परिशिष्ट II, III तथा VII से XI केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे, परिशिष्ट XII हिन्दी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे,) जो की संघ की अधिसूचना क्रमांक/MFP02/MSP/2020/I दिनांक 03.10.2020 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें तथा भविष्य की निविदाओं हेतु सुरक्षित रखें।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां (-), अधिहरित की गई सत्यंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।

13. अंग्रेजी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का अंग्रेजी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा।

प्रबंध संचालक

**छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर**

परिशिष्ट-I

निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश जो
निविदा सूचना क्रमांक/MFP02/MSP/2020/I दिनांक 03.10.2020 के भाग है

निविदा के निबंधन व शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे।

1. परिभाषाएं -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (i) **"देय राशि"** से तात्पर्य लाट में संग्रहित मात्रा के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी। अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित / क्रय मात्रा का ई-निविदा दर पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा।
- (ii) **"परिशिष्ट"** से तात्पर्य ई-निविदा सूचना के परिशिष्ट से है।
- (iii) **बकाया** से अभिप्रेत है निविदाकार के विरुद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना ई-निविदा प्रस्तुत की जाने की अंतिम तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक से भेजी गई है।
- (iv) **"मुख्य वन संरक्षक"** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन क्षेत्रीय मुख्य महा प्रबंधक भी घोषित है,
- (v) **"जिला यूनियन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,
- (vi) **"वन मंडलाधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से है, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित है,
- (vii) **"संघ"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।
- (viii) **"वनोपज"** से तात्पर्य विक्रय हेतु अनुसूची-12 में दर्शित वनोपज से है।
- (ix) **"शासन"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,
- (x) **"लॉट"** से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक सहकारी समिति (राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्र को छोड़कर) क्षेत्र में संग्रहित होने वाला वनोपज।
- (xi) **"नियमावली"** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ अभिवन (वनोपज) नियम 2001 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 से है।
- (xii) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो।

- (xiii) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो वनोपज इकाईयों की अधिसूचित क्विंटल में दर्शित मात्रा, को नीचे (xvi) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो।
- (xiv) **"क्रय दर"** से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति क्विंटल निविदा दर से है, जो बोरो में भरे गोदाम से परिदान दी जाने वाली वनोपज की मात्रा के लिए जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो।
- (xv) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,
- (xvi) **"देय कर"** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय वस्तु एवं सेवा कर व तत्समय प्रवृत्त अन्य सभी कर, उपकर / ड्यूटी आदि से है,
- (xvii) **"निविदा दर"** से तात्पर्य उस प्रति क्विंटल दर (रु. में) (जिसमें वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कोई कर / उपकर सम्मिलित नहीं हैं) से है जो निविदाकार किसी लाटके वनोपज के क्रय के लिए **परिशिष्ट-II** में दिए गए ई-निविदा पत्र में अलग-अलग ईकाई के लिए प्रस्तावित करेगा।
- (xviii) **"निविदाकार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, वनोपज क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित होंगे।
- (xix) 1. **हर्रा-** हर्रा का तात्पर्य वृक्ष से प्राप्त होने वाले फल से है।
 2. **हर्रा कचरिया** - हर्रा कचरिया का तात्पर्य हर्रा वृक्ष से प्राप्त फल जिसमें बीज अलग करके केवल पैरीकार्य अथवा फलावरण हो।
 3. **बहेड़ा-** बहेड़ा का तात्पर्य वृक्ष से प्राप्त होने वाले फलों से है जिसमें फलावरण एवं बीज हो।
 4. **बहेड़ा कचरिया-** बहेड़ा कचरिया से तात्पर्य बहेड़ा वृक्ष से प्राप्त फल जिसमें बीज अलग करके केवल पैरीकार्य अथवा फलावरण हो।
 5. **चरोटा बीज-** चरोटा बीज का तात्पर्य चरोटा के पौधे से प्राप्त फल्लियों से निकाले गये बीज है।
 6. **कालमेघ-** कालमेघ का तात्पर्य पौधे का समस्त भाग अर्थात् पत्ती, तना, फल, फूल, बीज आदि सम्मिलित हो तथा छोटे आकार के कटे हुए हो।
 7. **नागरमोथा-** नागरमोथा से तात्पर्य पौधे से प्राप्त जड़ जो सूखा हो।
 8. **बायबडिंग-** बायबडिंग का तात्पर्य वृक्ष से प्राप्त होने वाले फल से है।
 9. **मालकांगनी बीज-** मालकांगनी बीज का तात्पर्य मालकांगनी के वृक्ष से प्राप्त फल के बीज से है।
- (xx) **"क्रय क्षमता"** से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त क्रमांक 5(II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो।
- (xi) **"संग्रहण स्थान "** से तात्पर्य वह स्थान जहाँ से वनोपज को क्रेता द्वारा एकत्र किया जायेगा। संग्रहण केन्द्र गोदाम हो सकता है, जैसा कि **परिशिष्ट - XII** में दर्शाया गया है।

2. इकाईयों का विवरण -

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से वनोपज संग्रहण किया जाना है का विवरण अधिसूचना क्रमांक/MFP02/MSP/2020/I दिनांक 03.10.2020 की अनुसूची में दिया गया है।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते हैं निविदा सूचना एवं क्रेता करारनामों के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे।

4. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि -

(I) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह / वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है / कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में। भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ अपलोड की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो। मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी को सर्टीफिकेट ऑफ इनकापेरेशन (Certificate of Incorporation) की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ अपलोड किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा परिवार के समस्त सदस्यों की सूची निविदा पत्र के साथ अपलोड की जावेगी।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ अपलोड करेगा। यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता है, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी। मुख्यारनामों पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्यारनामों पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादार अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी। यदि कोई व्यक्ति, प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, अविभाजित हिन्दू परिवार (एच.यू.एफ) अगर काली सूची में दर्ज है तो यह माना जायेगा कि, काली सूची में दर्ज पार्टनरशिप फर्म के समस्त पार्टनर, कम्पनी के समस्त संचालक एवं अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता एवं समस्त सदस्य, भी काली सूची में है।

उपरोक्त काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अन्य किसी प्रोपराइट्री फर्म, पार्टनरशिप फर्म एवं कम्पनी में सम्मिलित होने की स्थिति में वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी।

(IV) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान संघ कार्यालय या सम्बन्धित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में ई-निविदा समाप्ति के पूर्व कर सकता है।

5. सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि जो अधिसूचित वनोपज की मात्रा के आधार पर निविदा दर से गणना किये गये क्रय मूल्य के 10% के बराबर होगी, के साथ शर्त क्रमांक 14(I) में दशयि विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी। अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा अंतिम रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी।

(II) क्रय क्षमता सत्यंकार की राशि की 10 गुना होगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर निविदा पर विचार किया जावेगा। निविदा क्षमता क्रय क्षमता के समतुल्य होगी।

(III) सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की वेबसाइट **www.cgmpfed.org** पर क्रमशः **परिशिष्ट-VIII** एवं **परिशिष्ट-IX** में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 9(I) के अनुसार समायोजित की जावेगी तथा शेष सत्यंकार की राशि, निविदाकार के निवेदन पर क्रेता को देय किस्त की राशि के विरुद्ध समायोजित की जावेगी अथवा उसे वापस कर दी जावेगी।

(IV) ई-निविदा के समापन के उपरांत, उच्चतम निविदाकारों की सत्यंकार की राशि शासन / संघ द्वारा ई-निविदा पर निर्णय लिये जाने तक अवरुद्ध रहेगी। राशि शासन / संघ द्वारा ई-निविदा पर लिये गये निर्णयानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि तथा असफल निविदाकारों की पूर्ण सत्यंकार राशि परिणाम घोषित होने के उपरांत निविदा पत्र (Annexure-II Form No. 1 के कॉलम-3) में दर्शायी बैंक खाते में वापस की जावेगी। बैंक खाते का विवरण निविदाकार द्वारा गलत भरने के कारण राशि निविदाकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर निविदाकार पूर्णतः जिम्मेदार होगा। क्रेता के आवेदन पर भी अन्य किसी बैंक खाते में राशि वापस नहीं की जावेगी। अगले चक्र की ई-निविदा हेतु निविदाकार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी।

(IV) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. निविदा भरने की प्रक्रिया -

(I) एक अथवा एक से अधिक इकाईयों के क्रय के लिए एक निविदाकार एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई निविदाकार एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

(II) निविदा केवल ऑन लाइन पोर्टल **https://cgmpfed.abcprocure.com** पर प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी।

(III) निविदाकार को निविदा पत्र में प्रत्येक लाटके क्रय के लिए अपनी निविदा दर देनी होगी। निविदाकार वनोपज के लिए प्रति क्विंटल दर, जिसमें कर/ उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, अपने निविदा पत्र में प्रस्तावित करेगा। प्रस्ताव में प्रति क्विंटल दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नहीं। निविदा दर पूर्ण रूपसे में दी जावेगी।

(IV) यदि कोई निविदाकार एक लाटके लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये।

(V) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी लाटके प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाटके लिए दिया गया है या किस राशि के लिए है अथवा यदि किसी लाटकी पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है अथवा किसी लाटके नाम एवं क्रमांक में अन्तर पाया जाता है तो उस लाटके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

(VI) निविदाकार को अपने निविदा पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता, दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। इस पते पर ई-मेल से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे। निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है। यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक का पता या ई-मेल का पता गलत पाया जाता है तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(VII) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक फार्म (Templates) को भरना होगा और उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को अपलोड कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-4 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा। सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा पत्र के साथ अपलोड न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नहीं होगी।

7. प्रस्तावों को वापिस लिया जाना आदि -

निविदा के Final Submission उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट/ इकाईयों के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता। इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/ इकाईयों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाटकी अधिसूचित मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

8. निविदाओं को स्वीकार किया जाना -

- (I) शासन / संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दशयि स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (II) विभिन्न निविदाकारों को इकाईयों का आवंटन करने के लिए शासन / संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर / अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- (III) यदि किसी विशिष्ट लाटके लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाटका आवंटन संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी।
- (IV) निविदाकार ऐसे लाट/ इकाईयों जिनके प्रस्ताव संघ द्वारा स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा।

9. प्रतिभूति निक्षेप -

- (I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये इकाईयों के कुल क्रय मूल्य की 20% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई क्रय मूल्य के 10% की सत्यंकार की राशि जिस हद तक वह उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करना होगा। अवशेष प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पास, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के मुख्यालय के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में अदा की जाएगी।
- (II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।
- (III) यदि क्रेता से वसूली की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।
- (IV) यथा स्थिति प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामों के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, अंतिम भुगतान में समायोजित की जा सकेगी।

10. वनोपज का परिवहन / निकासी -

- (I) गोदाम से वनोपज का परिवहन / निकासी स्वीकृत निविदा दर के अनुसार समस्त शेष राशि तथा पूर्ण करों एवं उपकरणों की राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता के द्वारा की जा सकेगी।
- (II) देय राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् परिवहन अनुज्ञा पत्र से लाटकी संग्रहित मात्रा की परिवहन / निकासी की अनुमति दी जावेगी।

11. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो क्रेता करारनामों की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामों को समाप्त किया जाता है, को तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में मुख्य वन संरक्षक द्वारा दर्ज किया जा सकेगा।

12. करारनामों का हस्तांतरण -

क्रेता प्रबंध संचालक, संघ की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उसके द्वारा निष्पादित अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे

अनुबंध का हस्तांतरण प्रबंध संचालक, संघ द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह **रु. 10,000/-** की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाटके क्रय मूल्य की 20% राशि किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड / बैंक ड्राफ्ट जो कि **प्रबंध संचालक** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में रायपुर में देय होगा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में, हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति तथा अधिनियम के तहत हस्तांतरण ग्रहिता का विनिर्माता / व्यापारी / उपभोक्ता के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति **प्रबंध संचालक**, संघ के कार्यालय में मूल क्रेता हेतु करारनामा निष्पादन करने की निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए। हस्तान्तरण ग्रहिता को हस्तांतरण आदेश की तिथि से 15 दिवस के भीतर क्रेता करारनामा प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में निष्पादित करना होगा। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाटके संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में संबंधित लाटका करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है।

13. यदि कोई क्रेता शासन / संघ के विरुद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन / संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से विलंब शुल्क सहित की जावेगी।

14. देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया -

(I) निविदाकार द्वारा -

निविदाकार को सत्यंकार (E.M.D.) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा। निविदाकार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है।

1. क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards)

निविदाकार द्वारा क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards) के विकल्प का चयन करने के उपरांत Payment Gateway में दशयि निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

2. नेट बैंकिंग (Net Banking)

निविदाकार केवल नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से ही राशि आनलाइन ट्रांसफर कर सकता है। नेट बैंकिंग के लिये कई बैंकों की सूची Payment Gateway में प्रदर्शित होगी। उसके बाद निविदाकार को अपने बैंक का चयन कर Payment Gateway में दशयि निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

3. आर.टी.जी.एस./एन.इ.एफ.टी (RTGS/NEFT)

निविदाकार को संलग्न परिशिष्ट-X की कंडिका 2.2 में दशयि निर्देश (Instructions) के अनुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

(II) निविदाकार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर -

क्रेता छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को देय समस्त राशि जैसे कि विक्रय मूल्य, वस्तु एवं सेवा कर, आय कर, विलंब शुल्क एवं गोदाम / कोल्ड स्टोरेज किराया आदि का भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ

मर्यादित के नाम होगा तथा **परिशिष्ट-VI** में जिला यूनियन के समक्ष दशयि स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में जिला यूनियन कार्यालय में अथवा रायपुर स्थित निम्न बैंकों में उनके समक्ष दशयि **RTGS** कोड / बैंक खाता क्रमांक में **RTGS** के माध्यम से हस्तान्तरण द्वारा कर सकता है।

बैंक एवं शाखा का नाम	RTGS कोड बैंक खाता क्रमांक
1. Punjab National Bank, Raipur (Main Branch)	PUNB0039900/0399005900000067

बैंक के द्वारा संचालित **RTGS** व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान के कारण संघ के खाते में राशि प्राप्त न होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा। आर.टी.जी.एस. व्यवस्था से भुगतान की तिथि वही मानी जावेगी, जिस तिथि को संघ के बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी।

क्रेता द्वारा भुगतान करने के उपरांत मनी रसीद जारी करने हेतु **परिशिष्ट-VI** में आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा मनी रसीद जारी की जावेगी।

Annexure - II (परिशिष्ट-II)

CHHATTISGARH STATE MINOR FOREST PRODUCE (TRADING & DEVELOPMENT) CO-OP. FEDERATION LIMITED "VAN DHAN BHAVAN" Sector - 24, Nava Raipur, Atal Nagar

Notification No. /MFP02/MSP/2020/I

Dated 03.10.2020

ONLINE TENDER FORM FOR PURCHASE OF MSP VANOPAJ UNITS (Form No. 1)

1.	Registration Details		
	(a)	Registration No. and Date Under Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964	
	(b)	Name of Forest Division Where Tenderer Registered	Selection from Drop down menu (List provided by Federation)
	(c)	Status of Tenderer	Drop Down Menu (MANUFACTURER, EXPORTER / TRADER, BOTH)
2.	Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) (Scanned Copy of certificate of Goods and Services Tax Identification Number to be Uploaded)		
3.	Name of the Directors / Partners / Family Members (HUF)		
	(1)		
	(2)		
	(3)		
	(4)		
	(5)		
	(6)		
	(7)		
	(8)		
4.	Outstanding dues of Forest Department / Federation against the Tenderer (Condition No. 1(V) of Annexure - I) – In Rs.		
5.	Tenderer's Bank Details		
	(a)	Type of Account	Drop Down Menu (Saving Bank A/c / Current A/c / Cash Credit A/c / Over Draft A/c)
	(b)	Account Number	
	(c)	Name of Bank and Branch	
	(d)	IFS Code	

Lotwise Rate Offer

(Form No. 2)

Earnest Money Deposit (E.M.D.) - In Rs. : Entered by Tenderer

Purchase Capacity (P.C.) - In Rs. : Non-edited (E.M.D. x 10)

S.No.	Unit No. and Quantity (In Quintals)	Purchase Rate per Quintal (In Rs.)	Purchase Price (In Rs.) (Quantity x Rate)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Documents to be Uploaded

(Form No. 3)

1.	Scanned copy of PAN Card (For all)
2.	Scanned copy of Aadhaar Card of Individual for Individual, Proprietor's for Proprietorship firm, Managing Director of the Company and in case of Partnership firm Aadhaar Card of atleast two of Partners required, in case of Hindu Undivided Family (HUF) Aadhaar Card of karta and one adult family is to be enclosed (For all)
3.	Scanned copy of certificate of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) (if applicable)
4.	Scanned copy of Partnership Deed (if applicable)
5.	Scanned copy of Certificate of Company Incorporation and List of Latest Directors of Company (if applicable)
6.	Scanned copy of Power of Attorney (if applicable)
7.	Scanned copy of list of family members in case of H.U.F
8.	Any other relevant Document

Annexure – III

परिशिष्ट-III

(Annexure to Tender Notice No. /MFP02/MSP/2020/I Dated 03.10.2020)

TENDERER'S AGREEMENT

(Condition 4(II) of Tender notice)

This agreement is made this day of (month) of (year) between Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited (hereinafter called 'Federation', which expression shall, where the context so admits, include its successors / representatives and assignees in office) of the first part and I / We (hereinafter called the Tenderer which expression shall include his heirs, successors, representatives and assignees) of the second part.

And whereas, the Federation desires to dispose of the Sal Seed purchased under the Govt. of India scheme “**Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP**”, to be collected in different Societies during 2020 collection season in advance and has issued notice inviting tenders vide e-Tender notice No. /MFP02/MSP/2020/I Dated 03.10.2020 and also desires that the prospective Tenderers should execute an agreement before participating in the e-Tender to abide by the conditions of the e-Tender Notice.

Now the tenderer hereby agrees as follows:-

1. I / We hereby declare that I / We have read and understood all the provisions of the Indian Forest Act, 1927, Chhattisgarh Abhivahan (Vanopaj) Niyam, 2001 and the rules made thereunder, the conditions of the e-Tender notice referred to above, Terms and conditions of e-Tender etc. contained in **Annexure - I** of the e-Tender notice and conditions of the Purchaser's Agreement appended to the e-Tender notice and agree to abide by the same.
2. I / We hereby declare that I / We shall not withdraw my / our offer after e-Tender. I / We further declare that I / We shall be bound by my / our offer and by the terms and conditions of the e-Tender notice till orders of competent authority, accepting / rejecting my / our offer, are passed or another person or party is appointed as purchaser of the lot(s) for which I / We have submitted the tender.
3. In the event of my / our failure to abide by the conditions of this agreement. I / We shall be liable to pay such penalty, as may be leviable under the terms and conditions of the e-tender notice.
4. This agreement shall be deemed and always be deemed to be subject to the provisions of Chhattisgarh Indian Forest Act, 1927, Chhattisgarh Abhivahan (Vanopaj) Niyam, 2001 and the rules made thereunder and the orders and notifications issued from time to time under the said Adhinyam and the rules and terms and conditions of e-Tender Notice No./Sangh/Vanopaj/2020/I Dated 22.04.2020 all of which shall form part of and shall be deemed to have become part of this agreement and shall be construed to have been specially provided for in this agreement.

5. I / We hereby declare that neither any dues of Forest Department / Federation are outstanding against me / us in Chhattisgarh nor have I / We been blacklisted by the Government / Federation.

In witness whereof the tenderer has put his / her signature on the day and year written first above.

Note:- Since the document is being submitted as a part of digitally signed tender document in e-tendering process, so the physical signatures of the tenderer and Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited are not available on this document.

परिशिष्ट-IV

(निविदा अधिसूचना क्रमांक/MFP02/MSP/2020/I दिनांक 03.10.2020 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक -7)

यह करार आज दिनांकमाह.....सन्.....को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित..... जिला यूनियन (जो इसके पश्चात् प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री.....

.....आत्मजनिवासी.....

.....ग्राम.....और जो (1) श्री.....

(2) श्री(3) श्री

.....के साथस्थित कम्पनी, जिसका नाम

.....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का

सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालयमें स्थित है, के साथ

भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति

में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राह्य न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके

उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके

उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

मेरे द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 और छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 और उसके

अधीन बनाये गये नियमों का भलिभति पढ़ा और समझा गया, चूंकि राज्य शासन ने भारत शासन की

“Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum

Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP” योजनान्तर्गत वनोपज के

क्रय व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को

अधिकृत किया है और संघ ने वर्ष 2020 में प्रदेश में क्रय एवं भंडारित वनोपज के विक्रय के लिए अपनी

ई-निविदा अधिसूचना क्रमांक क्रमांक/MFP02/MSP/2020/I दिनांक 03.10.2020 के द्वारा ई-निविदा

आयोजित की थी, और क्रेता लाट क्रमांक (अंकों में)

(शब्दों में) लाट का नाम एवं अधिसूचित मात्रा(अंकों में).....

..... (शब्दों में) और जिसको कथित ई-निविदा अधिसूचना

क्रमांक/MFP02/MSP/2020/I दिनांक 03.10.2020 की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया

है, के वनोपज के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दशयि गये निबंधनों एवं शर्तों

पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित वनोपज का दिनांक को समाप्त होने वाली

अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर

करार करते हैं:-

1. क्रेता करारनामा की अवधि -

यह करार दिनांक..... से प्रारम्भ होगा और दिनांक तक प्रवृत्त रहेगा जब

तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह अधिसूचना के साथ ही इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य / अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यक्षीन है।

3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस लाटमें संग्रहित / क्रय होने वाली मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से अधिक हो सकती है को रु..... (अंकों में)..... (शब्दों में) प्रति क्विंटल की दर पर क्रय करेगा। लाटके क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त वस्तु एवं सेवा कर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर / उपकर भी अदा करेगा।

4. क्रय मूल्य के भुगतान एवं परिदान की प्रक्रिया -

(I) क्रेता वनोपज का परिदान परिशिष्ट XII में दर्शित गोदाम से प्राप्त करेगा, जो प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित किया गया है। क्रेता निर्धारित तिथि को प्राथमिक सहकारी समिति एवं अन्य व्यक्ति जो कि प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत किया गया, से परिदान प्राप्त करेगा। क्रेता संग्रहण मूल्य एवं क्रय मूल्य, देयकर एवं अन्य देय राशि जिला यूनियन में देकर किसी भी वनोपज का परिदान गोदाम से ले सकेगा।

(II) क्रेता केवल परिशिष्ट XII में दर्शित गोदाम से परिदान प्राप्त कर सकेगा। अनाधिकृत स्थान पर पाये गये वनोपज को राजसात कर अधिनियम एवं संविदा के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(III) ऐसे वनोपज की समस्त मात्रा जो संघ द्वारा उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रेता को गोदाम से परिदान हेतु प्रस्तुत की जावेगी, के संबंध में क्रेता को प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा नीचे दशयि तिथि को संघ की वेबसाइट पर व ई-मेल के माध्यम से सूचना जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिवस के भीतर क्रय मूल्य का करों सहित भुगतान करने के पश्चात गोदाम से परिदान लेगा।

वनोपज की विभिन्न प्रजातियाँ होने के कारण संग्रहण काल पृथक-पृथक होने के कारण संग्रहण की सूचना एवं क्रय मूल्य के भुगतान एवं परिदान हेतु निम्न तिथियाँ निर्धारित की जाती है :-

संग्रहण होने की सूचना का दिनांक	क्रेता द्वारा क्रय मूल्य एवं करों की राशि जमा करने की अंतिम तिथि	क्रेता द्वारा वनोपज का परिदान लेने की अंतिम तिथि
माह की पहली तारीख	माह की पन्द्रहवी तिथि	माह की अंतिम तिथि

करार अवधि दिनांक 28.02.2020 तक होगी।

क्रेता द्वारा माह की अंतिम तिथि को परिदान न लेने पर क्रेता की करारनामा की शर्त क्रमांक-11 के अनुसार विलंब के लिए 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा। इसके अतिरिक्त क्रेता करारनामा की शर्त क्रमांक 13 के तहत क्रेता करारनामा की समाप्त कर काली सूची में दर्ज किया जावेगा व हानि की राशि बकाया की तरह वसूली होगी।

(IV) प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा संग्रहण की सूचना वेबसाइट पर व ई-मेल के माध्यम से सूचना जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिवस के भीतर क्रय मूल्य का करों सहित भुगतान कर क्रेता द्वारा परिदान प्राप्त न करने पर यह माना जावेगा कि अभिलेखों के अनुसार संग्रहित पूर्ण मात्रा परिदान हेतु उपलब्ध थी तथा इस विलंब के कारण वनोपज की गुणवत्ता में ह्रास (अवमूल्य) के संबंध में क्रेता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा एवं सूखत की कमी का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।

- (V) क्रेता का वनोपज की गुणवत्ता या उसकी उपयुक्तता के बारे में किसी भी समय में कोई विवाद मान्य नहीं किया जावेगा और न ही संघ उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार के हास के लिये उत्तरदायी होगा तथा वनोपज का भंडारण क्रेता के उत्तरदायित्व पर रहेगा।
- (VI) अधिसूचित मात्रा में किसी गणीतीय अथवा लिपकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ सुरक्षित रखता है तथा किशतों में तदनुसार संशोधन किया जावेगा और क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किशतों को मान्य करना होगा।
- (VII) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानांतरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/जिला यूनियन के पास सुरक्षित है।
- (VIII) क्रेता गोदाम पर परिदान दिये जाने वाले लघु वनोपज को प्राप्त करने से मना नहीं करेगा जब तक कि वनोपज उपयोग हेतु अयोग्य है। क्रेता के द्वारा अस्वीकार किये गये वनोपज पृथक से गोदाम में रखे जावेंगे तथा उप वनमंडल अधिकारी / वनमंडल अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जावेंगे। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा अपना निर्णय क्रेता के प्रतिनिधि को गोदाम पर ही सौंप दिया जावेगा जो कि अन्तिम एवं क्रेता पर बन्धनकारी होगा तथा यदि निर्णय के अनुसार वनोपज योग्य है, तो इस मात्रा को भी देय किशतों की गणना में सम्मिलित किया जावेगा। क्रेता यदि निर्णय के अगले दो दिवस के भीतर लघु वनोपज का परिदान नहीं लेता है तो लघु वनोपज क्रेता के जोखिम पर रहेगा तथा कंडिका (V) के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।
- (IX) यदि क्रेता शर्त क्रमांक (VIII) में निर्धारित अवधि के भीतर लघु वनोपज का परिदान नहीं लेता है, तब क्रेता करारनामे में उल्लंघन के लिये की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त, प्रबंध संचालक जिला यूनियन ऐसे लघु वनोपज को क्रेता को ही निगरानी शुल्क बतौर रूपये 25.00 प्रति क्विंटल अतिरिक्त धन राशि की वसूली करने के पश्चात् गोदाम पर परिदान कर सकेगा। निगरानी शुल्क के अतिरिक्त यदि यथास्थित संघ, गोदाम या जिला यूनियन ऐसे लघु वनोपज की, जो कि क्रेता को बाद में परिदत्त किये जायें, सुखाई, बोरों में भराई तथा परिवहन आदि का कार्य करते हैं, तो प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित सुखाई, बोरों की कीमत, बोरों में भराई तथा परिवहन आदि का व्यय क्रेता भुगतान करेगा तथा व्यय के संबंध में प्रबंध संचालक जिला यूनियन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

अथवा

ऐसे लघु वनोपज का निर्वर्तन संघ विक्रय से कर सकता है तथा हानि की राशि क्रेता से वसूल कर सकता है।

- (X) क्रेता इस करारनामे के तहत समस्त भुगतान परिशिष्ट - I की शर्त क्रमांक 14 के अनुसार करेगा।
- (XI) देय तिथियों पर किसी देय राशि का भुगतान न करने पर 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा। यदि किसी देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।
- (XII) परिशिष्ट - 12 से 14 में दर्शित अधिसूचित मात्रा अनुमानित है। किसी वनोपज का वास्तविक संग्रहण अधिसूचित मात्रा से अधिक होने पर क्रेता को अधिसूचित मात्रा का 1.25 गुणा तक वनोपज क्रेता करारनामा में उल्लेखित क्रय मूल्य पर लेना अनिवार्य होगा। वास्तविक संग्रहण अधिसूचित मात्रा के 1.25 गुणा से अधिक होने पर पारस्परिक सहमति से शेष मात्रा पर क्रेता प्राप्त कर सकेगा। संघ द्वारा संग्राहक से वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर क्रय किया

जाता है। वनोपज का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य या संघ द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक होने अथवा अन्य किसी कारण से, जिसका नियंत्रण संघ के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, यह संभव है कि वास्तविक संग्रहण अधिसूचित मात्रा से कम या नगण्य हो सकता है, ऐसी स्थिति में संघ को क्रेता द्वारा अधिसूचित मात्रा का वनोपज उपलब्ध कराने हेतु संघ को कोई बाध्य नहीं होगा और ना ही क्रेता उक्त अधिसूचित वनोपज पर अधिकारपूर्वक दावा कर सकता है।

- (XIII) क्रेता वनोपज का क्रय मूल्य व देय करों की पूर्ण राशि का भुगतान कर परिदान प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा।
- (XIV) क्रेता वनोपज का परिदान प्राप्त करने के उपरांत उसका समस्त उपचार, हम्माली, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य स्वयं करेगा एवं इन कार्यों पर आने वाला व्यय क्रेता ही वहन करेगा।
- (XV) इकाईयों के सीमा विवाद के संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा।

5. अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का भुगतान-

यदि संग्रहित मात्रा अधिसूचित मात्रा से 1.25 गुणा अधिक हो तो क्रेता द्वारा अतिरिक्त राशि का ड्राफ्ट संग्रहित मात्रा अनुसार वनोपज के आंशिक या पूर्ण परिदान के पूर्व देकर अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा का परिदान संग्रहण स्थान से ले सकेगा। यदि अतिरिक्त संग्रहित मात्रा के संबंध में अतिरिक्त राशि के भुगतान में विलंब किया जाता है तो उस दशा में 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क देय होगा।

6. वनोपज की निकासी -

- (क) क्रेता, क्रेता करारनामा की कंडिका 4 के अनुसार देय राशि का भुगतान कर गोदाम से वनोपज जहां ले जाना चाहे, उसके लिए छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अनुरूप परिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त कर ले जा सकता है। देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत शेष क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर सम्मिलित होंगे।
- (ख) क्रेता वनोपज को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर वन विभाग द्वारा जारी परिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त करने उपरांत परिवहन कर सकेगा।

7. करों का भुगतान -

- (I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त कर का भी भुगतान न कर दिया जाए।
- (II) क्रेता छत्तीसगढ़ राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य करों / उपकरणों का भुगतान बैंक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 14 के अनुसार जिला यूनियन के मुख्यालय पर करेगा।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करेगा यथा स्थिति संघ को देय वनोपज के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 14 के अनुसार नहीं कर दिया गया हो।

8. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना -

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को वनोपज के परिदान के पश्चात् उसका विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

9. करारनामे का अनुपालन -

यदि पूर्वोक्त एवं ई-निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन / निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है, तो वनोपज को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

10. प्रतिभूति निक्षेप -

(I) क्रेता भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरक्त रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में उसके द्वारा ई-निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।

(IV) यथा स्थिति प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तों तथा ई-निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, अंतिम भुगतान में समायोजित की जा सकेगी।

11. अधिनियम का उल्लंघन आदि -

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ / शासन को रूपया 15,000/- (पन्द्रह हजार) तक की राशि की देनगी करेगा।

12. शास्तियाँ -

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रुपये 5,000/- (पांच हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरुद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

13. क्रेता के करारनामे की समाप्ति -

(I) यदि क्रेता विक्रय मूल्य की देय राशि (कर / उपकर सहित) देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि 15 दिन के अन्दर अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में मुख्य वन संरक्षक दर्ज कर सकेगा।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा:-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने।

(ब) लाट के गोदाम में रखे वनोपज के स्कंध, जिसकी समस्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है परन्तु गोदाम से परिदान प्राप्त नहीं किया गया है या गोदाम से परिदान प्राप्त करने के उपरान्त निकासी नहीं की हो, को संघ के पक्ष में अधिहरित करने।

(स) (एक) लाट के गोदाम में रखे वनोपज के उस स्कंध का जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा वह स्कंध जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक (III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने। करारनामा समाप्त होने की दशा में क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

क्रेता से समस्त करें सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक परिवहन, गोदामीकरण व पर्यवेक्षण इत्यादि के समस्त व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करें सहित प्राप्तियां (-), अधिहरित की गई सत्यंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।

(दो) यदि वनोपज का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा / नीलाम में नहीं हो पाता है तो वनोपज का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यदि पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम में वनोपज का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा। यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(तीन) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

- (द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,
- (ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,
- (IV) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं वनोपज की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, विलंब शुल्क, समस्त देयकर एवं उपकर, निगरानी शुल्क, अधिरोपित शास्तियां तथा **रूपये 10,000/-** पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही वनोपज के स्टॉक को निकासी / परिवहन की अनुमति दी जावेगी।
- (V) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी।
- (VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो वनोपज की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, विलंब शुल्क, समस्त देयकर एवं उपकर, निगरानी शुल्क, अधिरोपित शास्तियां तथा **रूपये 10,000/-** अवधि वृद्धि शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से दिनांक 31.10.2020 तक वनोपज हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे।

14. लेखाओं का रख रखाव -

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा एवं ऐसे अभिलेख रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए। गोदाम पर रखे जाने वाले अभिलेख निरीक्षण हेतु किसी भी वन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किये जावेंगे।

15. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन -

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा।

16. वनोपज का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना -

क्रेता वनोपज का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञापत्र के बिना जैसा कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों में अनुध्यात है, नहीं करेगा।

17. स्टाम्प शुल्क का भुगतान -

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा।

18. प्रथम प्रभार -

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा परिवहन कर लिए गये वनोपज पर प्रथम प्रभार होगी।

(दो) क्रेता वनोपज का निर्यात या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये।

19. न्यायालय की अधिकारिता -

(एक) इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन / संघ के विरुद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से विलंब शुल्क सहित की जावेगी। जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने / उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया।

साक्षीगण:-

1.

(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

संघ की ओर से प्रबंध संचालक, जिला यूनियन
..... जिला यूनियन

2.

(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गये:-

साक्षीगण:-

1.

(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता / क्रेताओं के हस्ताक्षर

नाम-.....

2.

(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

डाक का पता-.....

परिशिष्ट-V

ई-निविदा अधिसूचना क्रमांक/MFP02/MSP/2020/I दिनांक 03.10.2020

**जिला यूनियनवार बैंक ड्राफ्ट भुगतान हेतु देय स्थान
[परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 14(II)]**

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जहाँ बैंक ड्राफ्ट भुगतान हेतु देय होगा
1	2	3
1	बीजापुर	बीजापुर
2	सुकमा	सुकमा
3	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
4	जगदलपुर	जगदलपुर
5	दक्षिण कोण्डागांव	कोण्डागांव
6	उत्तर कोण्डागांव	कोण्डागांव
7	नारायणपुर	नारायणपुर
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
10	कांकेर	कांकेर
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव
12	खैरागढ़	खैरागढ़
13	दुर्ग	दुर्ग
14	कवर्धा	कवर्धा
15	धमतरी	धमतरी
16	गरियाबंद	गरियाबंद
17	महासमुन्द	महासमुन्द
18	बलौदा बाजार	बलौदा बाजार
19	बिलासपुर	बिलासपुर
20	मरवाही	पेण्डुरोड़
21	जांजगीर-चांपा	चांपा
22	रायगढ़	रायगढ़
23	धर्मजयगढ़	धर्मजयगढ़
24	कोरबा	कोरबा
25	कटघोरा	कटघोरा
26	जशपुर नगर	जशपुर नगर
27	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़
28	कोरिया	बैकुण्ठपुर
29	सरगुजा	अम्बिकापुर
29	बलरामपुर	बलरामपुर
31	सूरजपुर	सूरजपुर

परिशिष्ट-VI

(ई-निविदा अधिसूचना क्रमांक/MFP02/MSP/2020/I दिनांक 03.10.2020 का परिशिष्ट)

वनोपज संघ द्वारा मनीरसीद जारी करने हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू हो उसे भरे धनादेश अथवा डी.डी. / आर.टी.जी.एस. अथवा एन.ई.एफ.टी. / नेट बैंकिंग)
प्रति,

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय:- मनीरसीद जारी करने बाबत।

महोदय,

मैं / हम मनीरसीद जारी करने हेतु निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कर रहे हैं / हूँ :-

1. क्रेता का नाम -
2. आयकर का पी.ए.एन. -
3. ई-मेल -
4. मोबाइल नंबर -
5. वनोपज का नाम - वनोपज
6. संग्रहण वर्ष -
7. समायोजन का विवरण -

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वर्ष	लाट क्रमांक	राशि
1	2	3	4	5

8. डी.डी. का विवरण (संलग्न)

क्र.	डी.डी. क्रमांक	तिथि	बैंक	राशि
1	2	3	4	5

अथवा

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी का विवरण (बैंक पावती संलग्न)

जमाकर्ता क्रेता का बैंक विवरण		धनादेश जो आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. हेतु उपयोग किया गया	यू.टी.आर. क्रमांक	राशि	दिनांक	संघ खाता का नाम एवं खाता क्रमांक जहाँ राशि जमा की गई
बैंक खाता क्रमांक	बैंक खातेदार का नाम					
1	2	3	4	5	6	7

अतः कृपया उपरोक्तानुसार मनीरसीद जारी कर संबंधित जिला यूनियन को भेजने का कष्ट करें एवं साथ ही हमें भी सूचित करें।

दिनांक:-

संलग्न:-

(हस्ताक्षर)
नाम एवं पता

Annexure–VII**परिशिष्ट-VII****(Annexure to e-Tender notice No. /MFP02/MSP/2020/I Dated 03.10.2020)****VANOPAJ TENDER 2020 SEASON
(C.G.LAGHU VAUPAJ SANGH)****TENDERER WISE ALLOTMENT LIST**
(Condition 7 of Tender Notice)

Tender Opening Date :

Tenderer's Name	Tenderer's E.M.D. (In Rs.)	Unit No.	Unit Name	Quantity (In Quintals)	Sanctioned Rate per Quintal (In Rs.)	Total Value of Unit (In Rs.)

Annexure–VIII**परिशिष्ट-VIII****(Annexure to e-Tender notice No. /MFP02/MSP/2020/I Dated 03.10.2020)****VANOPAJ TENDER 2020 SEASON
(C.G.LAGHU VAUPAJ SANGH)****LIST OF SUCCESSFUL TENDERERS**
(Condition 7 of Tender Notice)

Tender Opening Date :

S.No.	Tenderer's Name	Deposited E.M.D. (In Rs.)	Adjusted E.M.D. in Sanctioned Units (In Rs.)	Unadjusted E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure-IX**परिशिष्ट-IX****(Annexure to e-Tender notice No. /MFP02/MSP/2020/I Dated 03.10.2020)****VANOPAJ TENDER 2020 SEASON
(C.G.LAGHU VAUPAJ SANGH)****LIST OF UNSUCCESSFUL TENDERERS
(Condition 7 of Tender Notice)**

Tender Opening Date :

S.No.	Tenderer's Name	Deposited E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure–X

परिशिष्ट-X

Instructions for the Submission of the Online Tender

(Condition 5(II) of Tender Notice)

Note: The following steps need to be carried out for online submission of the Tender. Detailed instructions for each of the steps are given in the Tenderer's Manual on the Home Page of <https://cgmpfed.abcprocure.com>.

1. Sequence of steps for online tender submission:

Step 1 – To obtain Digital Signature Certificate (DSC) :

The DSC is issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India. The individual may obtain information required for issuance of a Class II / Class III DSC from the Controller of Certifying Authorities (www.cca.gov.in). The tenderer will have to obtain DSC from <https://cgmpfed.abcprocure.com> or any other CCA approved agency.

DSC is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by a Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a DSC can be issued.

Important Note: The offers submitted online should be signed electronically with a DSC to establish the identity of the tenderer. In case, during the process of a particular tender, the user loses his / her DSC (eg. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the offer online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

In case of online tendering, the DSC issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to no-objection certificate / power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the DSC as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to submit tender on behalf of the firm for the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited (C.G.M.F.P. Federation) tenders as per *Information Technology Act 2000*. The DSC of this authorized user will be binding on the firm. It shall be the responsibility of management / partners of the registered firm to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh '**authorization certificate**' for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a Private / Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

Step 2 – Online registration of intending tenderer:

In order to participate in the tender, the tenderer is required to be registered on the e-Procurement portal (<https://cgmfped.abcprocure.com>). Only after online registration of the tenderer, the tenderer shall be allowed to participate in the tenders floated by the C.G.M.F.P. Federation using the e-Procurement System.

The following Registration Fee will be charged by the Service Provider (i.e. e-Procurement Technologies Limited) from the tenderer:

Sl. No.	Description	Charges	GST @ 18%	Total Amount
1.	Online Registration (Valid for One Year)	Rs. 3000/-	Rs. 540/-	Rs. 3540/-

Documents required for Registration with the e-Procurement portal

- (I) **In case of Renewal** – No documents required for renewal of registration on the e-procurement portal.
- (II) **In case of New Registration** – The following documents required alongwith online registration form :-

(a) Individual or Proprietorship Firm –

Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	Address Proof	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
	Aadhaar Card		Bank Pass Book
			Aadhaar Card

(b) Partnership Firm –

- (i) **Any one ID Proof and One Address Proof** (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	Address Proof	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
	Aadhaar Card		Bank Pass Book
			Aadhaar Card

(ii) **Partnership Deed** details which have to be attested by partners with their company seal.

(c) **Pvt. & Ltd. Company –**

(i) **Any one ID Proof and One Address Proof** (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	Address Proof	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
	Aadhaar Card		Bank Pass Book
			Aadhaar Card

(ii) **Any one of the Organization proof issued by Government** (Attested by authorized signatory of Organization alongwith organization seal)

- **Certificate of Incorporation**
- **Articles of Incorporation**
- **Memorandum of Association**

(d) **Hindu Undivided Family (H.U.F.) –**

Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	Address Proof	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
	Aadhaar Card		Bank Pass Book
			Aadhaar Card

The scanned copies of all required documents as above and payment proof of required fees for New registration and only payment proof of required fees for renewal are required to submit by the intending tenderer to e-Procurement Technologies Limited (abc Procure). After verification of the above documents the e-Procurement Technologies Limited (abcProcure) will registered the Tenderer and inform by the e-mail accordingly.

After obtaining the Digital Certificate successfully installed on their system, the tenderer have to be online registered through “**New Bidder Registration**” page of the e-Procurement portal (<https://cgmpfed.abcprocure.com>) and mapped their Digital Certificate.

After online registration your registration will be approved by the Service Provider and intimate the same to the tenderer. The tenderer will be inform about the Tenderer’s Code, login Id & password. The login Id and password will be

required for online tender preparation and the Tenderer's Code will be used for making EMD payment through RTGS / NEFT mode, if opted for.

Step 3 – Online tender preparation

1. Filling of Tenderer's Information - Form No. 1 of Annexure – II
2. Filling of Lotwise Rate Offer - Form No. 2 of Annexure – II
3. Upload of required documents - Form No. 3 of Annexure – II
4. Acceptance of Tenderer's Agreement - Annexure – III

Step 4 – Online payment of E.M.D.

EMD can be paid online through Net-banking / Debit Cards / Credit Cards / RTGS / NEFT mode. In case, RTGS / NEFT mode is opted for, the detailed procedure is given below at point no. 2.2.

It will be solely the tenderer's choice to select any of these payment options viz. Net-banking / Debit Cards / Credit Cards / RTGS / NEFT, best suited to him. It is understood that the tenderer is aware of the payment cycle and other technical requirements/ payment process under each of these modes. It is tenderer's responsibility to see that the amount of EMD is credited to C.G.M.F.P Federation.

Step 5 – Final submission of the tender.

2. Other Information:

2.1 Set-up of Machine:

In order to operate on the e-Procurement System, following minimum operating system and hardware is required.

- Windows XP with service pack 3
- Windows vista / windows 7
- Browser Internet Explorer 7, 8 or 9
- Minimum bandwidth 512 kbps
- Minimum RAM 2 GB

2.2 Procedure of payment of EMD through RTGS / NEFT mode :

Since RTGS / NEFT payments are settled by RBI in batches, intended EMD amount is required to be paid at least one day in advance of online tender submission by following procedure:

A. Please mention the following details while making the RTGS / NEFT payment from your Bank:

- (i) Beneficiary account number – This will be in the following format:

<CGMF+ Tenderer Code>

For example, in case your Tenderer Code is ABC66215, the beneficiary account number will be **CGMFABC66215**.

- (ii) Beneficiary bank branch - **ICICI Bank, CMS, Mumbai**

- (iii) Beneficiary IFSC code - **ICIC0000104**

- B.** After completing the online tender preparation formalities, select RTGS / NEFT payment option at the EMD payment screen. Upon doing so, you shall be able to view the funds already remitted by you through NEFT / RTGS as available balance in beneficiary account. Tenderer should note that available balance against their name in ICICI Bank is not E.M.D amount available with C.G.M.F.P Federation.
- C.** Please proceed to deposit the E.M.D from available balance. Upon doing so, the required amount to be paid for the EMD shall get appropriately deducted from the amount remitted and payment of E.M.D shall be confirmed & receipt will be generated in real time.
- D.** In case there is excess remittance i.e. money not transferred for use as E.M.D, the refund of the same can be claimed by the tenderer simultaneously. On submitting refund request, the amount would be transferred in the bank account opted by you by next working day.
- E.** In case, tenderer wants to utilize the excess fund (i.e. the remaining available balance) for participating in next round of tender by Federation under e-Procurement portal, they may do so instead of taking refund.

Please feel free to get in touch with our e-procurement support team / ICICI Bank support team in case any clarification is required.

2.3 Submission of Online Offers:

C.G.M.F.P Federation will not be responsible for any failure on part of the tenderer in submission of the Tender and / or the EMD etc. before scheduled time and date, for any reason whatsoever, including, inter-alia, non-credit of said amounts of EMD and therefore no claims shall be entertained on these grounds.

Under this online payment system for e-Tendering, the tenders will not be submitted / received by C.G.M.F.P Federation unless the EMD is received / credited before scheduled time and date. Hence, tenderer shall remit the said amount well in advance. It is clarified that the Tenders will not be considered for opening if EMD is not received / credited before schedule time and date, for any reason whatsoever.

The tenderer is advised to submit his / her tender as well as pay the EMD amount well before the cut-off time and date to avoid any inconvenience on account of any problem e.g. system slow down or network problem.

2.4 Helpline:

For any assistance regarding Registration on e-Procurement portal, DSC, online tender form submission and other points of e-tendering process, please contact our service provider:-

e-Procurement Technologies Ltd., Ahmedabad on following contact details

Phone No.: 079 68136878 / 45 /49 / 50 / 54 / 48 / 33

Email ID – support@abcprocure.com

For Registration Support:

Mr. Himalay Vaishnav (Mb – 09099090830)

Mr. Sonu Tank (Mb – 06353217080)

For Technical Support:

Mr. Pradip Parmar (Mb – 09328657215)

Mr. Nandan Valera (Mb – 09374519729)

Mr. Rahul Desai (Mb – 09374519816)

For any assistance regarding banking transactions, please contact ICICI Bank, Civil Lines, Raipur at the following numbers:

Mr. Manish Pujari – 7389918634

Mr. Aman Chandan – 8585015366

Mr. Shoeb Danish – 9406204554

MANAGING DIRECTOR
Chhattisgarh State Minor Forest Produce
(Trading & Development) Co-op.
Federation Limited

Time Schedule

Annexure – XI

परिशिष्ट- XI

(Annexure to e-Tender Notice No. /MFP02/MSP/2020/I Dated 03.10.2020)

Tender Details for Vanopaj Season 2020

(Condition 5(II) of Tender Notice)

Tender Detail	
General Detail	
Tender Id :	System Generated
Tender No :	No./MFP02/MSP/2020/I Dated 03.10.2020 I st Round
Department Name :	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited
Scope of work :	Advance Sale of Vanopaj of Collection Season 2020
e-Tender Details :	Advance Sale of Vanopaj of Collection Season 2020
Mode of Tender Submission :	Online e-Tender
e-Tender Type :	Open
Type of Contract :	Advance Sale of Sal Seed
Bidding Type :	National
Consortium :	Not Allowed
Download Tender Documents :	Before Login / After Login
Purchaser Location :	Any where in India
Key Dates	
Document Download Start Date & Time :	06/10/2020 from 17:00:00
Starting Date & Time of online Tender Submission :	14/10//2020 from 11:00:00
Ending Date & Time of online Tender Submission :	16/10//2020 upto 16:00:00
Date & Time of Tender opening :	16/10//2020 from 16:10:00 onwards

Tender Validity Period (Days) :	Till the decision of e-Tender
Project Duration :	As per e-Tender document
Document to be submitted Physically :	NIL
Tender Activity configuration	
Mode of EMD payment :	Online
Payment Details	
EMD Amount :	As per e-Tender document
Details	
Eligibility Criteria :	As per e-Tender document
General Terms and condition :	As per e-Tender document
Other Details :	As per e-Tender document
Product/Service/Works Keywords :	Advance Sale of Sal Seed

Tender Details for Sal Seed Season 2020 (IInd Round)

Tender Detail	
General Detail	
Tender Id :	System Generated
Tender No :	No./MFP02/MSP/2020/I Dated 03.10.2020 – IInd Round
Department Name :	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited
Scope of work :	Advance Sale of Sal Seed of Collection Season 2020
e-Tender Details :	Advance Sale of Sal Seed of Collection Season 2020
Mode of Tender Submission :	Online e-Tender
e-Tender Type :	Open
Type of Contract :	Advance Sale of Sal Seed
Bidding Type :	National
Consortium :	Not Allowed
Download Tender Documents :	Before Login / After Login
Purchaser Location :	Any where in India
Key Dates	
Document Download Start Date & Time :	31/10//2020 from 17:00:00
Starting Date & Time of online Tender Submission :	04/11/2020 from 11:00:00
Ending Date & Time of online Tender Submission :	06/11/2020 upto 16:00:00
Date & Time of Tender opening :	06/11/2020 from 16:10:00 onwards
Tender Validity Period (Days) :	Till the decision of e-Tender
Project Duration :	As per e-Tender document
Document to be submitted Physically :	NIL
Tender Activity configuration	
Mode of EMD payment :	Online

Payment Details	
EMD Amount :	As per e-Tender document
Details	
Eligibility Criteria :	As per e-Tender document
General Terms and condition :	As per e-Tender document
Other Details :	As per e-Tender document
Product/Service/Works Keywords :	Advance Sale of Sal Seed